



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 742]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 24, 2019/पौष 3, 1941

No. 742]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 24, 2019/PAUSHA 3, 1941

श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2019

सा.का.नि. 949(अ).— कर्मचारी राज्य बीमा निगम (केंद्रीय) नियमावली, 1950 में आगे संशोधन हेतु कुछेक निम्नलिखित मसौदा नियम, जिन्हें केंद्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के परामर्श से कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम-1948 (1948 का 34) की धारा 95 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त धारा की उप धारा(1) द्वारा यथापेक्षित, उससे प्रभावित हो सकने वाले सभी व्यक्तियों के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त मसौदा नियमों पर, सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से तीस दिनों के पश्चात विचार किया जाएगा।

उक्त मसौदा नियमों के संबंध में उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी भी व्यक्ति से जो आपत्तियां या सुझाव प्राप्त होंगे, केंद्रीय सरकार द्वारा उन पर विचार किया जाएगा।

आपत्तियां या सुझाव श्री मदन चौरसिया, अवर सचिव, श्रम और रोज़गार मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 को संबोधित किए जाएं।

मसौदा नियम

- (1) इन नियमों को कर्मचारी राज्य बीमा (केंद्रीय) संशोधन नियमावली, 2019 कहा जाए।
- (2) ये सरकारी राजपत्र में इसके अंतिम प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- कर्मचारी राज्य बीमा (केंद्रीय) नियम, 1950 के नियम 51 बी को निरस्त माना जाए।

[फा.सं. एस-38012/01/2016-सा सु-1]

विभा भल्ला, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियमावली को भारत का राजपत्र, भाग- II, खंड 3, उप खंड (i), में दिनांक 22 जून, 1950 की अधिसूचना सं. का.नि.आ. 212, द्वारा प्रकाशित किया गया था और अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 638(अ), दिनांक 6 सितम्बर 2019 को किया गया था।

MINISTRY OF LABOUR OF EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th December, 2019

G.S.R. 949(E).—The following draft of certain rules further to amend the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950 which the Central Government, after consultation with the Employees' State Insurance Corporation, proposes to make, in exercise of the powers conferred by section 95 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), is hereby published as required by sub-section (1) of the said section, for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after thirty days from the date of publication in the Official Gazette;

Any objection or suggestion, which may be received from any person in respect of the said draft rules within the period specified above, will be considered by the Central Government;

The objections and suggestions may be addressed to Shri Madan Chaurasia, Under Secretary, Ministry of Labour and Employment, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi-110001.

DRAFT RULES

- (1) These rules may be called the Employees' State Insurance (Central) Amendment Rules, 2019.
(2) They shall come into force on the date of its final publication in the Official Gazette.
- In the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950, rule 51 B shall be omitted.

[F.No.S-38012/01/2016-SS-I]

VIBHA BHALLA, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section(i), vide notification number S.R.O. 212, dated the 22nd June, 1950 and was last amended vide notification number G.S.R. 638(E), dated 6th September, 2019.